निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 428/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, द्वितीय तल, बड़ौदा भवन, 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स गवाची प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूटर्स जरिये प्रोपराईटर श्री शिवांश गौत्तम पुत्र श्री शिवशंकर गौत्तम,

   पता:— दुकान नं. ए—1, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, 1304 एवं 1305, सिडार लक्सजूरिया, इस्कॉन रोड़, प्लॉट भूमि खसरा संख्या 248, 250, 674/252, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, इस्कॉन रोड़, जयपुर।

   अन्य पता:— बी—1304 एवं 1305, सिडार लक्सजूरिया, इस्कॉन रोड, मानसरोवर विस्तार, जयपुर।

   अन्य पता:— दुकान नं. ए—1, ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक ए, सिडार लक्सजूरिया, ग्राम सुखिया, इस्कॉन रोड़, मानसरोवर विस्तार, जयपुर।

   अन्य पता:— डी—187, भृगु मार्ग, कांतिचन्द्र रोड़, बनीपार्क, सिंधी केम्प के पीछे, जयपुर।

2. श्रीमती किरण गौत्तम,

   पता:— डी—187, भृगु मार्ग, कांतिचन्द्र रोड़, बनीपार्क, सिंधी केम्प के पीछे, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:— श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 06.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.08.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शिवांश गौत्तम एवं श्रीमती किरण गौत्तम के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. ए—1, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, सेडार लक्सजूरिया, खसरा संख्या 248, 250, 674/252, ग्राम सुखिया, इस्कॉन रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 607.94 वर्गफीट को बन्धक रख कर एवं मैसर्स गवाची प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूटर्स के स्वामित्त्व के स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 21,00,000/—रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाईपोथिकेट सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 21,00,000/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक/हाईपोथिकेट रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 26,08,142.89/–रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.09.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री शिवांश गौत्तम एवं श्रीमती किरण गौत्तम के स्वामित्व की बंधक संपत्ति दुकान नं. ए–1, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, सेडार लक्सजूरिया, खसरा संख्या 248, 250, 674/252, ग्राम सुखिया, इस्कॉन रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 607.94 वर्गफीट एवं मैसर्स गवाची प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूटर्स के स्वामित्त्व के हाईपोथिकेटेड स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner